राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018 जयपुर, दिनांक : 13.10.2018
15

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से चयनोपरान्त निदेशालय के आदेश कमांक : संस्था/चि.अ./एटी/प.41/2018/67 दिनांक 14.08.2018 के द्वारा 971 नवनियुक्त चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी किये थे, उक्त चिकित्सकों में से विभाग के आदेश कमांक : प. 12(1)चिस्वा/2/2018 विविध दिनांक 28.08.2018 के द्वारा 36 चिकित्सकों एवं आदेश कमांक : प. 12(1)चिस्वा/2/2018 विविध दिनांक 29.08.2018 के द्वारा 27 चिकित्सकों को विभिन्न कारणों से 15 दिवस से 6 माह तक कार्यग्रहण में अभिवृद्धि प्रदान की गई थी।

उक्त 63 चिकित्सकों में से जिन चिकित्सकों की कार्यग्रहण की अभिवृद्धि आदर्श आचार संहिता के दौरान पूर्ण हो रही है, उन्हें कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक प. 3(1)(9)I/Elect/2018/6965 दिनांक 08.10.2018 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंषा पर सामान्य प्रशासन विभाग की आई. डी. कमांक 3547/पीएस/जीएडी/2018 दिनांक 13.10.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– विशिष्ठ सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
2– वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5– निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम.
6– निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
7– प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, स्वास्थ्य भवन।
8– समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
9– समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
10– समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन
11– समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
12– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13– संबंधित अधिकारी
14– कम्प्यूटर सेल
15– निजी /रक्षित पत्रावली

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव